

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 868 दिनांक:- 27/12/19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा-मायापुर में 132/33 के0भी ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 1508 दिनांक 26.06.2019
महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना 132/33 K.V ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 मात्र जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/ Sub Station/38286/2019 Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. बोकारो वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे० में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे० में	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1	बोकारो	शून्य	4.04	4.04	0.3

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। पृष्ठ सं०-01

3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है :-

पृष्ठ सं०-26 से 27

क्र० सं०	Block	District	Mauza	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (He)	Type of Land
1.	पेटरवार	बोकारो	मायापुर	38	57	1107	4.04	गैर मजरूआ जंगल झाड़ी

4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

5. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। पृष्ठ सं०-40

7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब-स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। पृष्ठ सं०-41

8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। पृष्ठ सं०-41

9. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 125 है, वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है पृष्ठ सं०-32 से 36

10. इस परियोजना में पूर्ण जंगल-झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 1459/रा0 दिनांक 24.07.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। पृष्ठ सं0-29
 11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, बोकारो का पत्रांक 533 दिनांक 06.07.2019 द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त है, साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। पृष्ठ सं0-28
 12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। पृष्ठ सं0-09
 13. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि *"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"*
 14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
 15. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
 16. वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
 17. प्रस्तावित वन भूमि बोकारो जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
 18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
 19. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।
- प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल-झाड़ी वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kedra
24.7.19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF 132 / 33 KV GSS PETARWAR SUBSTATION
4.04 ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

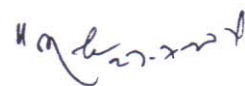
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.04 ha. Forest land.

Date :- 27.07.2019

Place :- Ranchi.

Signature



(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)